झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना प्रारूप

संख्या–07 / हो०गा० (स्था०)–01 / 2013–5995/ राँची, दिनांक–12.11.15 भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं झारखंड गृह रक्षक अधिनियम– 2005 [झारखण्ड अधिनियम–03, 2006] की धारा– 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल झारखंड गृह रक्षा वाहिनी अधीनस्थ सेवा की विभिन्न कोटियों में नियुक्ति एवं प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**
   - (i) यह नियमावली 'झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015' कही जायेगी।
   - (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) *यह* राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ :–**
   - (i) **'राज्य'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
   - (ii) **'विभाग'** से अभिप्रेत है गृह विभाग।
   - (iii) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005।
   - (iv) **'सेवा / संवर्ग'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा / संवर्ग
   - (v) **'नियुक्ति प्राधिकार'** से अभिप्रेत है विभिन्न कोटियों के लिए नियमावली में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी।
   - (vi) **'नियमावली'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2015.
   - (vii) **'राज्यपाल'** से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल।
   - (viii) **'सरकार'** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।
   - (ix) **'महासमादेष्टा'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा।
   - (x) **'उप–महासमादेष्टा'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के उप–महासमादेष्टा।
   - (xi) **'समादेष्टा'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा।
   - (xii) **'मुख्यालय'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा का कार्यालय।
   - (xiii) **'गृह रक्षक'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत नामांकित स्वयं सेवक।
   - (xiv) **'पुलिस हस्तक'** से अभिप्रेत है झारखण्ड पुलिस हस्तक।
   - (xv) **'विहित'** से अभिप्रेत है झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 की धारा 12 के द्वारा प्रदत प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमावली में यथा विहित।

3. **वेतनभोगी कर्मियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :–**

   महासमादेष्टा के अधीन विभिन्न कोटि के ***वैतनिक पदाधिकारियों*** एवं कर्मियों के निम्नाकिंत कर्तव्य एवं दायित्व होगें :–

   (क) राज्य के आंतरिक सुरक्षा में सहायता हेतु गृह रक्षकों को पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करने तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, किसी आपातकाल, हवाई आक्रमण, आग, बाढ, महामारी, मानवजनित / प्राकृतिक आपदा इत्यादि में जन समुदाय को सहायता करने के कार्य मं प्रशिक्षित करना, उपरोक्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नेतृत्व प्रदान करना, बल में उच्च कोटि का अनुशासन तथा मनोबल बनाए रखना तथा बल के रख–रखाव एवं उसके लिए कल्याणकारी कर्त्तव्य का *निर्वहन* करना।

   (ख) आवश्यक सेवाओं जैसे–मोटर परिवहन, अग्रणी तथा यांत्रिकी दल, अग्निशाम सेवा, प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार, जलापूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठानों के संचालन आदि हेतु विशेष रूप से ***प्रशिक्षित*** कार्यकारी दस्ते तैयार करना।

133

(ग) गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम / नियमावली के अन्तर्गत गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्त करना। समय–समय पर मुख्यालय द्वारा आवंटित साज–सज्जा उपलब्ध कराना, उनपर प्रशासनिक नियंत्रण रखना एवं इससे संबंधित वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित करना।

(घ) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम एवं नियमावली तथा झारखंड पुलिस हस्तक में वर्णित नियमों के अनुरूप कार्यों का निष्पादन करना एवं करवाना।

4. **झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) संवर्ग :–**

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) संवर्ग के वर्दीधारी कोटि के निम्न श्रेणी एवं पद होगें:–

क्र0	पद का नाम	प्रोन्नत / सीधी नियुक्ति / चयनित पद / पदस्थापन पर	वेतनमान ग्रेड–पे सहित
		गुल्म समादेशक श्रेणी	
1	निरीक्षक / निरीक्षक (परिवहन)	प्रोन्नत पद	पी0बी0 II (9300–34800) ग्रेड पे 4600
2	**गुल्म समादेशक (मूल कोटि का पद) / गुल्म समादेशक (आयुधपाल) / गुल्म समादेशक (परिवहन) / गुल्म समादेशक (बैण्ड / बिगुलर)**	1. **मूल कोटि** के 75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति ***एवं*** 25 प्रतिशत प्रोन्नति *द्वारा* 2. **गुल्म समादेशक (आयुधपाल) का पद** अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा। 3. **गुल्म समादेशक (परिवहन) का पद** अधिनायक (चालक) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा। 4. **गुल्म समादेशक (बैण्ड / बिगुलर) का पद** अधिनायक (बैण्ड / बिगुलर) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा।	पी0वी0 II (9300–34800) ग्रेड पे 4200
		अधिनायक श्रेणी	
1	जमादार लिपिक / अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड– I / अधिनायक (लिपिक) ग्रेड– I / अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड– I / अधिनायक (चालक) ग्रेड– I / अधिनायक (बैण्ड) ग्रेड– I	1. सभी पद प्रोन्नति के पद होंगे। 2. जमादार लिपिक का पद लेखा उत्तीर्ण (विभागीय परीक्षा) अधिनायक (अनुदेशक) एवं अधिनायक (लिपिक) का चयनित पद। 3. अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड– I का पद अधिनायक (अनुदेशक) का प्रोन्नत पद होगा। 4. अधिनायक (लिपिक) ग्रेड– I का पद अधिनायक (लिपिक) का प्रोन्नत पद होगा। 5. अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड– I का पद अधिनायक (आयुधपाल) का प्रोन्नत पद होगा। 6. अधिनायक (चालक) ग्रेड– I का पद अधिनायक (चालक) का प्रोन्नत पद होगा। 7. अधिनायक (बैण्ड) ग्रेड– I का पद अधिनायक (बैण्ड) का प्रोन्नत पद होगा।	पी0वी0 I (5200–20200) ग्रेड पे 2800
2	अधिनायक (लिपिक) (मूल कोटि का पद) / अधिनायक (अनुदेशक) (मूल कोटि का पद) / अधिनायक (आयुधपाल) / अधिनायक (चालक) / अधिनायक (बैण्ड / विगुलर)	1. अधिनायक (लिपिक) के **मूल कोटि के** 75 % सीधी नियुक्ति (कम्प्यूटर जानकार) एवं 25 % प्रोन्नति सिपाही से, 2. अधिनायक (अनुदेशक) के **मूल कोटि के** 75 % सीधी नियुक्ति एवं 25 % प्रोन्नति सिपाही से, 3. अधिनायक (आयुधपाल) का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा। 4. अधिनायक (चालक) का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा। 5. अधिनायक (बैण्ड / बिगुलर) का पद सिपाही (बैण्ड / बिगुलर) का प्रोन्नत पद होगा।	पी0वी0 I (5200–20200) ग्रेड पे 2000
		सिपाही श्रेणी	
I	सिपाही (मूल कोटि का पद) / सिपाही (चालक) (मूल कोटि का पद) / सिपाही (बैण्ड / विगुलर) (मूल कोटि का पद) /	सीधी नियुक्ति	पी0वी0 I (5200–20200) ग्रेड पे 1900

132

नोट :–

1. सिपाही (मूल कोटि) में पूर्व के स्वीकृत नायक, लांस नायक एवं सिपाही भंडार कोटि के पद को विलय किया जाता है। बैण्ड सिपाही में, बैण्ड नायक कोटि के स्वीकृत पद को विलय किया जाता है।
2. अधिनायक आवासपाल एवं अधिनायक लिपिक टंकक के सभी स्वीकृत पद का विलय अधिनायक लिपिक पद (मूल कोटि) में किया जाता है।
3. सिपाही (मूल कोटि) से अधिनायक आयुधपाल, अधिनायक लिपिक, अधिनायक अनुदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताओं के साथ–साथ वरीयता के कम में उनके विकल्प पर विचार किया जाएगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।
4. अधिनायक आयुधपाल ग्रेड–I के पद पर प्रोन्नति अधिनायक आयुधपाल से, अधिनायक लिपिक ग्रेड–I में अधिनायक लिपिक से, अधिनायक अनुदेशक ग्रेड–I में अधिनायक अनुदेशक से, अधिनायक चालक ग्रेड–I में अधिनायक चालक से और अधिनायक बैण्ड ग्रेड–I में अधिनायक बैण्ड से ***प्रोन्नति*** वरीयता एवं योग्यता के आधार पर दी जाएगी।
5. सिपाही (मूल कोटि) और सिपाही चालक की अलग–अलग वरीयता सूची होगी तथा बैण्ड सिपाही और बिगुलर की समेकित वरीयता सूची होगी।
6. एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति की कालावधि वही होगी जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई है।
7. नियम 4 में उल्लेखित विभिन्न श्रेणियों के मूल कोटि के पद नियुक्ति/प्रोन्नति से भरे जायेगें एवं सभी मूल कोटि की वरीयता समेकित रूप से अलग–अलग संधारित की जायेगी।
8. केवल संपुष्ट, ***आरोप विहीन, चरित्रवान एवं विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण उत्तीर्ण*** कर्मी ही उच्च पदों पर प्रोन्नति के योग्य होंगे।
9. उपर वर्णित सभी पद राज्य स्तरीय होंगे। कर्मियों की कुल पदस्थापन अवधि एक प्रमण्डल के अन्तर्गत नौ वर्ष और एक जिला में तीन वर्ष से ***अधिक*** नहीं होगी।

(ग) **झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी संगठन के समूह ''घ'' के पद निम्न लिखित होंगे:–**

क्र0	पद का नाम	नियुक्ति
1	रेकर्ड सप्लायर	आउटसोर्सिंग से
2	दफ्तरी	आउटसोर्सिंग से
3	चपरासी	आउटसोर्सिंग से
4	माली	आउटसोर्सिंग से
5	चौकीदार	आउटसोर्सिंग से
6	रसोईया	आउटसोर्सिंग से
7	पनभर	आउटसोर्सिंग से
8	धोबी	आउटसोर्सिंग से
9	नाई	आउटसोर्सिंग से
10	झाड़ूकश	आउटसोर्सिंग से

आउटसोर्सिंग योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों/प्रावधानों के अनुरूप होगा।

5. **(क) (i)** सिपाही/सिपाही (चालक)/ सिपाही (बैण्ड /बिगुलर)/अधिनायक (अनुदेशक)/अधिनायक (लिपिक)/ कम्पनी कमांडर कोटि के पद पर सीधी भर्ती **राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड /झारखंड राज्य यूनिफार्म सेवा नियुक्ति पर्षद** की ***अनुशंसा*** के आधार पर की जायेगी।

(ii) सिपाही एवं अधिनायक के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक एवं लिखित जाँच परीक्षा का वही मापदंड होगा, जो पुलिस बल में पुलिस के पद पर चयन हेतु निर्धारित है।

(iii) नियुक्ति/प्रोन्नति पर महासमादेष्टा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

131

(ख) **प्रोन्नति हेतु समिति का गठन :–**

महासमादेष्टा द्वारा प्रोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा :–

(1)	उप–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, *राँची*	–	अध्यक्ष
(2)	समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, *राँची*	–	सदस्य सचिव
(3)	अवर सचिव, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, *राँची*	–	सदस्य
(4)	जिला समादेष्टा(अनु0जाति/अनु0जनजाति)	–	सदस्य
(5)	वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा	–	सदस्य

6. **सिपाही श्रेणी :–**

(क) सिपाही

(i) सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5 (क) के अनुसार की जायेगी।

(ii) सिपाही की रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जायेगी। आरक्षण के नियमों का पालन निर्धारित नियमों के अनुरूप होगा। 50 प्रतिशत रिक्ति पंजीकृत ऐसे गृह रक्षकों (स्वयंसेवक)से भरी जायेगी जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि एवं कम से कम छः माह का सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो।

(iii) सिपाही के नियुक्ति पदाधिकारी समादेष्टा, मुख्यालय होंगे।

(iv) सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित हैं।

(v) कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

(vi) मेधा सूची सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(vii) अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र(सामान्य श्रेणी को छोडकर) एवं आवासीय प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(viii) प्रोन्नतिः– प्रोन्नति समिति द्वारा दी जायेगी। प्रोन्नति के लिए पुलिस हस्तक के नियमानुसार निर्धारित शर्त्तो को पूरा करना होगा।

(ix) वरीयताः– वरीयता का निर्धारण मेधा सुची के अनुरूप तैयार की जायेगी।

(x) अधिनायक लिपिक और अधिनायक अनुदेशक का 25 प्रतिशत पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा।

(xi) अधिनायक आयुधपाल के कुल पदों को सिपाही से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(ख) सिपाही (चालक)

(i) सिपाही चालक के पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5 (क) के अनुसार की जायेगी।

(ii) सिपाही चालक की रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जायेगी। आरक्षण के नियमों का पालन निर्धारित नियमों के अनुरूप होगा। 50 प्रतिशत रिक्ति पंजीकृत ऐसे गृह रक्षकों (स्वयंसेवक)से भरी जायेगी जिन्होने पंजीकरण के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि एवं कम से कम छः माह का सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो।

(iii) सिपाही चालक के नियुक्ति पदाधिकारी समादेष्टा, मुख्यालय होगें।

(iv) सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस चालक की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तगत में निर्धारित है।

(v) सिपाही चालक को मोटर चालन जांच में भाग लेना पडेगा तथा मोटर चालन परीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। सिपाही चालक की जांच परीक्षा वही होगी, जो सरकार द्वारा पुलिस चालक के लिए निर्धारित है।

(vi) कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों मे नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

(vii) मेधा सूची सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(viii) अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों को योगदान के ***समय*** असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ***निर्गत*** स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य श्रेणी को छोड़कर) एवं आवासीय प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ix) **प्रोन्नति** :– विभागीय समिति द्वारा दी जायेगी। प्रोन्नति के लिए पुलिस हस्तक के नियमानुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

(x) वरीयता का निर्धारण मेधा सूची के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(xi) अधिनायक चालक का पद सिपाही चालक का प्रोन्नत पद होगा।

(xii) अधिनायक चालक ग्रेड–I का पद अधिनायक चालक का प्रोन्नत पद होगा।

(xiii) कम्पनी कमाण्डर परिवहन का पद अधिनायक चालक ग्रेड–I का प्रोन्नत पद होगा।

130

(ग) सिपाही (बैण्ड / बिगुलर)

(i) बैण्ड सिपाही के पद पर नियुक्ति नियम 5(क) के अनुसार की जायेगी।

(ii) बैण्ड सिपाही की रिक्तियाँ सीधी भर्ती से भरी जायेगी। गृह रक्षक (स्वयंसेवक) प्रशिक्षित जवानों के लिये पूरी रिक्ति के पचास प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे। यह लाभ केवल झारखण्ड राज्य से पंजीकृत होमगार्डस के प्रशिक्षित जवानों, जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि एवं कम–से–कम छह माह का सक्रिय सेवा (Active Duty) पूर्ण कर लिया हो, को ही मिलेगा। होमगार्ड के उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में होमगार्ड की शेष रिक्तियाँ गैर होमगार्ड के उम्मीदवारों से भरी जायेगी। 50 प्रतिशत अन्य से सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(iii) बैण्ड सिपाही के नियुक्ति पदाधिकारी **समादेष्टा,** मुख्यालय होंगे।

(iv) बैण्ड सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता / आयु सीमा / शारीरिक अर्हता / चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस बैण्ड की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है।

(v) कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

(vi) मेधा सूची सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(vii) अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य श्रेणी को छोड़कर) एवं आवासीय प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(viii) **प्रोन्नति** :– विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा दी जायेगी। प्रोन्नति के लिए पुलिस हस्तक के नियमानुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ix) **वरीयता** :– वरीयता का निर्धारण मेधा सूची के अनुरूप तैयार की जायेगी।

(x) अधिनायक बैंण्ड ग्रेड–I का पद अधिनायक बैण्ड का प्रोन्नत पद होगा। अधिनायक बैण्ड का पद बैण्ड सिपाही का प्रोन्नत पद होगा।

(xi) कम्पनी कमाण्डर बैण्ड का पद अधिनायक बैण्ड ग्रेड– I का प्रोन्नत पद होगा।

7. <u>अधिनायक श्रेणी :–</u>

(क) अधिनायक लिपिक

(i) **अधिनायक लिपिक कोटि में निम्नलिखित पद होंगे :–**
(क) अधिनायक लिपिक ग्रेड– I / जमादार लिपिक (ख) अधिनायक लिपिक

(ii) अधिनायक लिपिक के कुल रिक्त पदों का 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 प्रतिशत सिपाही (मूल कोटि) से प्रोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(iii) अधिनायक लिपिक के पद पर सीधी भर्ती नियम 5(क) के अनुसार की जायेगी।

(iv) नियुक्ति पदाधिकारी उप महासमादेष्टा होंगे।

(v) सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

(vi) सीधी नियुक्ति के लिए अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर की जानकारी आवश्यक होगी। प्रोन्नत अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(vii) लेखा के जानकार अधिनायक लिपिक को कार्यालय प्रधान की अनुशंसा पर लेखा परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति मुख्यालय द्वारा दी जाएगी। लेखा उत्तीर्ण अधिनायक लिपिक, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पुलिस हस्तक में गठित नियम के आधार पर जमादार लिपिक बनाये जांएगे।

(ख) अधिनायक अनुदेशक

(i) अधिनायक अनुदेशक कोटि में निम्नलिखित पद होंगे :–
(क) अधिनायक अनुदेशक ग्रेड– I, (ख) अधिनायक अनुदेशक

(ii) अधिनायक अनुदेशक के कुल रिक्त पदों का 75 प्रतिशत नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 प्रतिशत सिपाही से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(iii) अधिनायक अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5 (क) में उल्लिखित नियम के अनुसार की जायेगी।

(iv) नियुक्ति पदाधिकारी उप महासमादेष्टा होंगे।

(v) सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

(vi) अधिनायक अनुदेशक का प्रोन्नत पद अधिनायक अनुदेशक ग्रेड– I होगा।

(vii) सिपाही को वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक अनुदेशक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।

129

(ग) अधिनायक आयुधपाल

(i) अधिनायक आयुधपाल का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा।
(ii) सिपाही की कोटि से प्रोन्नति के लिए योग्य सिपाहियों का चयन कर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा। केवल आयुधपालं प्रशिक्षित सिपाही को ही वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक आयुधपाल के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विचार किया जाएगा।
(iii) प्रोन्नति पदाधिकारी उप–महासमादेष्टा होंगे।
(iv) अधिनायक आयुधपाल ग्रेड– I का पद अधिनायक आयुधपाल का प्रोन्नत पद होगा।
(v) कम्पनी कमाण्डर आयुधपाल का पद अधिनायक आयुधपाल ग्रेड– I का प्रोन्नत पद होगा।

8. **गुल्म समादेशक(कम्पनी कमाण्डर) श्रेणी :–**

(i) गुल्म समादेशक के कुल स्वीकृत पद का 75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति तथा 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
(ii) गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित हैं।
(iii) गुल्म समादेशक के पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5 (क) के अनुसार क़ी जायेगी।
(iv) नियुक्ति पदाधिकारी उप–महासमादेष्टा होंगे।
(v) गुल्म समादेशक का 25 प्रतिशत पद अधिनायक लिपिक ग्रेड–I, अधिनायक अनुदेशक ग्रेड– I और जमादार लिपिक का प्रोन्नत पद होगा। जिसके लिए इस कोटि की समेकित वरीयता सूची तैयार की जाएगी।
(vi) इस पद पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा दी जाएगी। प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर सेवा अभिलेख एवं आचरण संतोषप्रद होने पर दी जाएगी।
(vii) सीधी भर्ती से नियुक्त गुल्म समादेशक दो साल की परीक्ष्यमान अवधि पर रहेंगे। जिसके समाप्त होने के बाद संपुष्टि के योग्य पाये जाने पर इन्हें उप–महासमादेष्टा द्वारा संपुष्ट किया जाएगा। संपुष्टि की अनिवार्य शर्त संतोषप्रद सेवाभिलेख एवं उच्च स्तरीय पद पर योग्यता क्षमता एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता होगी।
(viii) निरीक्षक पद गुल्म समादेशक का प्रोन्नत पद होगा।
(ix) निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा दी जाएगी।
(x) निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उसके समकक्ष होगी।
(xi) निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर सेवाभिलेख एवं आचरण संतोषप्रद होने पर दी जाएगी।
(xii) जिला समादेष्टा एवं समकक्ष (मूल कोटि) के 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से और शेष 25 प्रतिशत पद निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा भरें जायेंगे।
(xiii) जिला समादेष्टा के पद पर प्रोन्नति के लिए विचारार्थ प्रोन्नति समिति का गठन झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में किया जाएगा।

9. **समूह ''घ'' के पदों पर नियुक्ति :–**

(i) समूह ''घ'' के सभी पद आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे।
(ii) आउटसोर्सिंग योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों/प्रावधानों के अनुरूप होगा।

10. **आरक्षण :–**

सभी पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

11. **वर्दी, साजो–सज्जा, बैज:–**

गृह रक्षा वाहिनी के कर्मचारी/पदाधिकारी का वर्दी, साजो–सज्जा इत्यादि पुलिस हस्तक के अनुरूप धारण करेंगे, परन्तु कंधा बैज में JHG धारण करेंगे।

128

12. सेवा संपुष्टि :–

परीक्ष्यमान अवधि के दौरान सेवा संतोषप्रद होने, हिन्दी लिखने–पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण होने, बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने, कोई कदाचार या अनुशासनहीनता का आरोप न होने इत्यादि के आधार पर सेवा संपुष्टि की जाएगी।

13. परीक्ष्यमान अवधि :–

सभी स्तर पर नियुक्त कर्मियों के लिए परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी।

14. अनुशासनिक कार्रवाई :–

पुलिस हस्तक, बिहार एवं उड़िसा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1935 और असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 यथा संशोधित के सुसंगत प्रावधान के द्वारा नियंत्रित होगी।

15. प्रशिक्षण अवधि :–

नियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के प्रशिक्षण संहिता में निर्धारित प्रक्रिया/पाठ्यक्रम के अनुरूप दिया जायेगा। इसके लिए प्रशिक्षण संहिता का गठन किया जायेगा।

16. वार्षिक चारित्री :–

अधिनायक लिपिक संवर्ग/अधिनायक लिपिक ग्रेड–I/जमादार लिपिक/अधिनायक अनुदेशक ग्रेड– I/कम्पनी समादेशक संवर्ग/निरीक्षक संवर्ग की वार्षिक गोपनीय चारित्री संधारित की जायेगी।

17. महासमादेष्टा द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशः–

पुलिस एक्ट की धारा– 7 एवं 12 तथा पुलिस हस्तक के नियम– 8 के प्रावधानों के अनुरूप महासमादेष्टा समय–समय पर स्थायी सैन्य आदेश निर्गत कर सकते हैं, जिसकी वही मान्यता होगी जैसा कि महानिदेशक–सह–पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड के द्वारा निर्गत किये गये पुलिस आदेश की होती है।

18. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ :–

राज्य सरकार के सभी नियम/परिपत्र एवं आदेश इस सेवा के सदस्यों के ऐसे सभी मामलों में जो इस नियम के अंतर्गत आच्छादित न हो, हू–ब–हू लागू होंगे। अन्य सभी विषय को इस नियमावली में वर्णित नहीं हो, के संबंध में पुलिस हस्तक के प्रावधान लागू होंगे। इससे पूर्व के सभी नियम/आदेश/अनुदेश आदि निरसित समझे जायेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

9.11.15
(एन०एन० पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 07/हो०गा० (स्था0)– 01/2013–5995/राँची, दिनांक 12/11/2015 ई०।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 50 प्रतियाँ गृह विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अपर मुख्य सचिव। 9.11.15

ज्ञापांक– 07/हो०गा० (स्था0)– 01/2013–5995/राँची, दिनांक 12/11/2015 ई०।

प्रतिलिपि– मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय समादेष्टा/सभी जिला समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.11.15
अपर मुख्य सचिव।

अनुसूची–1–संगठनात्मक सारणी

नियम– 4